न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 825/2022

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हजारीराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. विद्या कुमारी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. पुष्पा कुमारी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. एकता कुमारी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 2/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के खाता स0 827/818 के कुल खसरे 22 की कुल 5.5660हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हजारीराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है। वादी के दादा हजारीराम के फौत होने के बाद विरासतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। इसलिए उक्त वाद भूमि पैतृक है। जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बराबर हक व हिस्सा है।

प्रतिवादीया स0 2 ता 4 वादी की बहिने है। प्रतिवादीया स0 2 ता 4 ने अपने हक हिस्से की भूमि का त्याग अपने भाई यानि की वादी के पक्ष में कर दिया है। इसलिए वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:03 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को काफी मर्तबा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की प्रतिवादी स0 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि में वादी के हक हिस्सा की भूमि है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकार है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 2 ता 4 जो की वादी की बहिने है, के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 827/818 के कुल खसरे 22 की कुल 5.5660हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत बिरकाली का सदस्य प्रमाण पत्र के आधार पर व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र प्रसाद के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 2 ता 4 जो की वादी की बहिने है, के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने स्वीकार करते हुए अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

राज का किसी प्रकार का एतराज नही होने व वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के खाता स0 827/818 के कुल खसरे 22 की कुल 5.5660हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में 1.8553 है भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 825/2022

अनवान : —

1. विनोद कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हजारीराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. विद्या कुमारी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. पुष्पा कुमारी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. एकता कुमारी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2074—2077 के खाता स0 827/818 के कुल खसरे 22 की कुल 5.5660हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में 1.8553 है भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आ़देश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 2/21/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:03 IST
Reason: SelfAttested